संख्या-35/2026/568/2026/1619925/12-2099/49/2022

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2026

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 105-खाद तथा उर्वरक, 04-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं के मानक मद 26-मशीने एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-गु०नि०-126/19/वित्तीय स्वीकृति/2026-27. दिनांक 28.04.2026 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 105-खाद तथा उर्वरक, 04-उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं के मानक मद 26-मशीने एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 332.50 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रूपये 332.50 लाख (रूपए तीन करोड बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय सवीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमो के अनुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

(4) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से धनराशि व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का दायित्व होगा।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(9) प्रायोजन में सम्मिलित उपकरणों/संयंत्रों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जाएगा।

(10) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

(11) व्यय प्रवन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,32,50,000 (रुपये तीन करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401001050400 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

http:

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-35/2026/568/2026/1619925/12-2099/49/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / बजट अनुभाग-1/2 / कृषि अनुभाग-5 / नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।

6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
डा0 रंजना दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।